भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 974470

यह जनरल स्टाम्प पेपर माँ काली शिक्षण सेवा संस्थान
ग्राम बस्ती भुजवल काठही पो० पुथिष्ठिरपट्टी
जिला आजमगढ़ फाइल नं० AZ-17151
के स्मृति-पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबंधक ... उ० प्र० आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
28/5/14

मिलानकर्ता 27-5-14
प्रतिलिपिकर्ता

(2)

: स्मृति पत्र :

१:संस्था का नाम : माँ काली शिक्षण सेवा संस्थान ।

२:संस्था का पता : ग्राम बस्ती भुजवल कठही,पों० युधिष्ठिरपट्टी,तह० बूढ़पुर,जिला आजमगढ़,उ०प्र०।

३:संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश ।

४:संस्था के उद्देश्य १: विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिमअंग,भोजन,आवास,शिक्षा,वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का क्रय व वितरण करना ।

२: बाल श्रमिकों का चिन्हींकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुओं मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित-प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

३: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक -बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एव संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

४: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आवासीय विद्यालयों,अनावासीय विद्यालयों, कान्वेण्ट विद्यालयों,बाल श्रमिक विद्यालयों,आश्रमपद्धति विद्यालयों,संस्कृत विद्यालयों,बौद्धविद्यालयों,अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू, हिन्दी,अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलॉग विद्यालयों,तकनीकी विद्यालायों, औद्योगिक, प्रौद्योगिक विद्यालयों,अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों,प्रौढ शिक्षा केन्द्रों,सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों किसान विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५: गरीब,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, बालश्रमिक,दलित,विकलॉगों,मेधावी, निराश्रित, असहाय तथा मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों,वीरगति प्राप्त,विकलॉगसैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावास की व्यवस्था करना ।

६: निः शुल्क पुस्तकालयों,वाचनालयों,क्रीडास्थलों, छात्रावासों,अनाथालयों, बृद्धाश्रमों,विधवा-श्रमों, नारी निकेतनों बाल संरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रो ,संग्रहालयों, प्रयोग शालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

७: पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा बृक्षारोपण करना ।

८: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिलाई, कढाई,कटाई,कताई,बुनाई, तकनीकी ,शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला कम्प्यूटर, टंकण,आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेटिंग,जरीकढाई, चिकनकढाई,कालीन बुनाई, दरी बुनाई,संगीत,नाट्य,बाद्य,कला,नृत्य आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

९: भारत सरकार,प्रदेशसरकार,जिला ,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर शिक्षा विकास की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ।

१०: बालक/बालिकाओ,कलाकारो,के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय -समय पर खेलों, सेमीनारों ,गोष्ठियों,प्रदर्शनियो आदि का आयोजन,संचालन करना तथा सफल बालक/बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करने का प्रयास करना ।

११: बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षित-प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

चन्द्रभान सिंह

Kalpana Singh — चन्द्रभान सिंह

1 Gyanmati Singh — ज्ञानमती सिंह

५: संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम,पिता/पति का नाम,पता तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया :-

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१:श्री जयप्रकाश सिंह	स्व० रामलखन सिंह	ग्राम कठही बस्ती भुजवल पो० युधिष्ठिरपट्टी,आजमगढ़	अध्यक्ष	कृषि
२:श्री काली प्रसाद सिंह	स्व० रामलखन सिंह	” ”	प्रबन्धक/सचिव	
३:श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	श्री जयनाथ सिंह	” ”	कोषाध्यक्ष	”
४:श्री चन्द्रभान सिंह	श्री इन्दल सिंह	ग्राम सरफोरा पो० बिलारी आजमगढ़	आडीटर	”
५:श्री चन्द्रभान सिंह	श्री रामनरायन सिंह	ग्राम शेखपुर (पूरा) पो० गहजी,आजमगढ़	सदस्य	”
६:श्री रामकेश सिंह	श्री गजराज सिंह	ग्राम मवरगह पो० अम्बरपुर अम्बेडकरनगर	”	”
७:श्री रामजतन विश्वकर्मा	श्री राजकिशोर विश्वकर्मा	ग्राम कोठरा पो० विनोवापुरी आजमगढ़	”	”

६:हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो०रजि०ऐक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं ।

दिनॉक

सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर

चन्द्रभान सिंह

चन्द्रभान सिंह

कालीप्रसाद सिंह

जयप्रकाश सिंह

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

रामजतन विश्वकर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 974469

यह जनरल स्टाम्प पेपर मां काली शिक्षण सेवा संस्थान ग्राम बस्ती भुजबल कठही, पो० युधिष्ठिर पट्टी जिला आजमगढ़ फाइल नं० AZ-17(M) के नियमावली के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबंधक सोसाइटीज उ0 प्र0 आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
28/5/14

मिलानकर्ता 27-5-14
प्रतिलिपिकर्ता

(5)

-: नियमावली :-

१:संस्था का नाम : माँ काली शिक्षण सेवा संस्थान ।

२:संस्था का पता : ग्राम बस्ती भुजवल कठही,पो० युधिष्ठिरपट्टी,तह० बूढ़पुर,जिला आजमगढ़,उ०प्र०।

३:संस्थाकाकार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश ।

४:संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार

५:संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त में कम से कम ३०००/-या उससे अधिक मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से दान स्वरूप देंगे तथा संस्थाहित में कार्य करेंगें संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें ।

विशिष्ट सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषीभाव रखने वाले होगें तथा संस्था को ५००/-रूपया हर तीसरे साल चन्दा देते रहेगें संस्था के विशिष्ट सदस्य बने रहेगें ।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्थाहित में सदैव कार्यरत रहेगें तथा संस्था को ५१/-रूपया वार्षिक चन्दा देते रहेगें संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेगें ।

सदस्यता ग्रहण करने की अहर्ता-: वह भारतीय नागरिक हो तथा उसकी उम्र १८ साल या उससे अधिक हो।

६:सदस्यता की समाप्ति१: मृत्यु होने पर ।
२: पागल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर ।
३: संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
४: त्याग पत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
५: लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित सूचना के अनुपस्थित होने पर ।
६: किसी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिकआपराधिक केस में सिद्ध किये जाने पर।
७: सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर ।

७:संस्था के अंग १: साधारण सभा
२: प्रबन्धकारिणी समिति

८:साधारण सभा

गठन नियमावली के नियम ५ के सभी सदस्य मिल कर साधारण सभा का गठन करेगें ।

बैठक साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचनाअवधि साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर १२ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना ३ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

कोरम साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का २/३ होगा ,कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नही होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि : साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा जो माह दिसम्बर की ३ तारीख को मनाया जायेगा ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

१: प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना ।

२: संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देख भाल एवं सुरक्षा करना ।

३: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

९:प्रबन्धकारिणी समितिः

गठन प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें एक अध्यक्ष,एक प्रबन्धक/सचिव,एक कोषाध्यक्ष,एक आडीटर तथा तीन सदस्य होगें । इस प्रकार कुल ४ पदाधिकारी एवं ३ सदस्य होगें कुल संख्या ७ होगी ।

बैठकें प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचनाअवधि प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों/पदाधिकारियों को कम से कम ६ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना २ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

कोरम प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों/पदाधिकारियों का २/३ बहुमत के आधार पर माना जायेगा कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनःउसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नही होगी ।

रिक्त स्थानो की पूर्तिः प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्ति होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेषकाल के लिए साधारणसभा में से नियमानुसार की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

१: संस्थाहित में शाखा संस्थाओं के संचालन हेतु उपसमितियों/उपकमेटियों का गठन एवं संचालन करना ।

२: संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारणसभा से पासकराना।

३: कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/पदच्युति/वेतनबृद्धि/नियमितीकरण एवं अन्य कार्यवाही किसी सक्षम पदाधिकारी की लिखित संस्तुति पर करना ।

४: संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना ।

५: स्वयं के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना ।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पाँच साल तक होगा ।

१०:प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तव्यः

अध्यक्ष १: सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।

२: बैठको को बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना ।

३: बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना ।

४: बैठकों की तिथि,समय व स्थान का निर्धारण करना ।

५: बैठको मे प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान करना ।

६: किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना ।

निबंधक ... आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

वर्धमान सिंह

उदयभान सिंह

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

शारदा प्रसाद सिंह

वर्धमान सिंह

श्रवण कुमार विश्वकर्मा

प्रबन्धक/सचिव

१: साधारण सभा की बहुमत की मॉग पर कार्यकारिणी भंग करना कार्यकाल बढाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव कराना ।

२: दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उन्हें क्रियान्वित करना ।

३: वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा क्षमादान का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना ।

४: बैठकों में विध्न पहुँचाने वाले दोषी लोगों को बैठक से निष्कासित करना तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना । तथा त्याग पत्र स्वीकार करना ।

५: संस्था की चल / अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना ।

६: संस्था के धन को संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना ।

७: संस्था के समस्त मूल अभिलेखों/दस्तावेजों का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना

८: सस्था के पक्ष में मिलने वाले ऋण,अनुदान,दान,चन्दा,भूमि,भवन आदि को प्राप्त करना तथा उसकी यथा विधि रसीद देना ।

९: बैठकों की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना

१०: संस्था की ओर से समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

११: कर्मचारियों की नियुक्ति,पदोन्नति,पदच्युति,वेतनबृद्धि,नियमतीकरण एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रबन्धसमिति को लिखित संस्तुति देना ।

१२: संस्था के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना संतुष्ट होने पर दोषमुक्त करना तथा संस्था/संस्थाओं की किसी कर्मचारी के जॉच की अवधि तक निलम्बित करना तथा जॉच की रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना ।

१३: सदस्यों से चन्दा लेना और उसकी रसीद देना ।

१४: सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना तथा सदस्य बनाना ।

१५: सदस्यता ग्रहण करने योग्य पात्र व्यक्तियों को अपना अतिम निर्णय देना ।

१६: आपात स्थिति में बैठकों को बुलाना ।

१७: आय व्यय के बजट को पास कराने में मदद करना ।

१८: बैठकों की तिथि , समय व स्थान की सूचना सदस्यों को देना ।

१९: संस्था को मजबूत बनाये रखने हेतु कार्य करना ।

२०: संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करना ।

२१: संस्थाहित में सभी प्रकार का कार्य करना ।

२२: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना ।

कोषाध्यक्ष

१: आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना ।

२: प्रबन्धक/सचिव के सहमति से समस्त बिल बाउचरों का भुगतान करना ।

३: प्रबन्धक/साचिव के सहमति से समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैक या पोस्ट आफिस में जमा करना ।

आडीटर

१: आय व्यय के लेखा जोखा की रिपोर्ट साधारण सभा में पेश कर पास करवाना ।

२: संस्था की प्रगति का प्रचार प्रसार करना ।

३: समस्त ज्ञापनों -विज्ञापनों का प्रकाशन व भुगतान कराना ।

सहायक निबंधक ... आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

<u>११:संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः</u>-संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के २/३ बहुमत के आधार पर किया जायेगा ।

<u>१२:संस्था का कोषः-</u> संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा ।

<u>१३:संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिटः-</u> संस्था के वर्ष भर के आय व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडीटर द्वारा कराया जायेगा ।

<u>१४:संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः-</u>
अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध दाखिल मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक/सचिव द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी जो प्रथम बार जनपद आजमगढ़ के न्यायालय में ही देखे जा सकेगें ।

<u>१५:संस्था के अभिलेख :-</u>

१: सदस्यता रजिस्टर ।
२: कार्यवाही रजिस्टर ।
३: स्टाक रजिस्टर ।
४: सूचना रजिस्टर ।
५: कैशबुक आदि ।

<u>१६:संस्था के विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी ।</u>

<u>दिनांक</u>

<u>सत्यप्रतिलिपि</u> ह०

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00931/2020-2021

दिनांक 26/11/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/AZA/11120/2020-2021 पत्रावली संख्या:AZ-17141 दिनांक:2010-2011

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **माँ काली शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम-बस्ती भुजवल कठहीं, पो0-युधिष्ठिरपट्टी, तह0-बूढ़नपुर, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0, आजमगढ , 223221** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 688/2010-11 दिनांक-25/11/2010 को दिनांक-24/11/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Rajeev Kumar Tiwari)
C884B2A6BCD7635D2F88C373F4CFE98DFECF694F
Date: 26/11/2020 4:52:30 PM, Location: Azamgarh.

जारी करने का दिनांक-26/11/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।